न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
134 / 2024	2024 / 337	22.08.2024	08.08.2024

उनवान

प्रेम पत्नि श्री शशिकांत जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्री [illegible] जयपुर जिला जयपुर राजस्थान ।

वादीया

बनाम

1. गीता देवी पत्नि श्री देवकीनंदन स्वामी जाति स्वामी निवासी टोरडा ब्राह्मणान तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान
2. सुशीला देवी पत्नि श्री रोहिताश यादव जाति अहीर निवासी बागावास अहिरान तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड
3. द सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक जयपुर शाखा पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान।
5. सब रजिस्ट्रार महोदय पावटा, तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री विष्णु कुमार शर्मा
प्रतिवादी सं. 01, 02 श्री मुकेश कुमार स्वामी

<u>दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

1. वादीया की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पेश वादपत्र निम्नानुसार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 620 / 1.07 हैक्टे. वाके मौजा टोरडा ब्राह्मणान पटवार हल्का पाचूडाला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड में स्थित है जिसे आगे वाद में आराजी मुतदाविया से संबोधित किया गया है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया के खातेदार काश्तकार वादी का हिस्सा 1 / 2 है तथा शेष (हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1 / 4 प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1 / 4 मुताबिक हिस्सा जमांबदी है तथा अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है।

2. उपरोक्त आराजी मुतदाविया का आज दिन तक पक्षकारान के मध्य मौके व राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा शामिल में ही पक्षकारान उपरोक्त भूमि को काश्त कर रहे है इसलिए पक्षकारान के मध्य आये दिन काश्त संबंधी व लगान संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते है। वादी ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी मुतदाविया का मौके व राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंटवारा करवाने को कहा परन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे अब गत सप्ताह से साफ इंकार हो गये है। इसलिए वादी को हक हो गया है कि जरिये अदालत आराजी हाल खसरा नम्बर 620 / 1.07 वाके मौजा टोरडा ब्राह्मणान पटवार हल्का पांचूडाला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 02 के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार अच्छे में से अच्छे व बुरी में बुरी भूमि का निर्धारण करते हुए एवं रास्ते की समुचित व्यवस्था करते हुये भूमि का तकास्मा किया जावे एवं इस हेतु तहसीलदार कोटपूतली को मध्यस्थ नियुक्त किया जावे एवं वादीके हिस्से में आई भूमि का अलग बटा नम्बर डाल हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

3. प्रतिवादी उपरोक्त आराजी मुतदाविया की भूमि का बिना विधिवत बंटवारा किये दिगर व्यक्तियों को भूमि को रहन–बेचान करने व मौके पर जबरन मुख्य रास्ते की भूमि में नींव खोदकर निर्माण कार्य कर आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे है एवं मना करने पर नहीं मान रहे एवं मरने मारने पर उतारू है एवं ऐलानिया धमकी दे रहे है उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि मे चारदीवारी लगा कब्जा कर लेंगे। वादी ने प्रतिवादीगण को बहुत समझाया परन्तु वे अपनी चाल से बाज नहीं आ रहे इसलिए वादी को हक हो गया है कि वे जरिये अदालत प्रतिवादीगण को इस अमर से पांबद करावे की बाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 620/1.07 वाके मौजा टोरडा ब्राह्मणान पटवार हल्का पांचूडाला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड की भूमि में किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करे वादी को हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक काश्त करने देवै मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा दिगर व्यक्ति को रहन– बेचान नहीं करे के लिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त आराजी का गत सप्ताह विधिवत हाल राजस्व रिकार्ड व मौके पर तकास्मा करवाने से इंकार करने एवं बिना तकास्मा किये भूमि को दिगर व्यक्तियों को रहन–बेचान करने एवं भूमि पर निर्माण करने पर आमादा होने से पैदा हुआ है। आराजी मुतदाविया न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में निवास करते है इसलिए उपरोक्त वाद सुनने व तय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को हासिल है। वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसुची के अनुसार नियत कोर्ट फीस 4 रूपए पर वाद प्रस्तुत है।

4. अतः वादी दावेदार है कि एक किता डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रस्तुत की जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 620/1.07 वाके मौजा टोरडा ब्राह्मणान पटवार हल्का पांचूडाला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 02 के मध्य जमाबंदी में हिस्से अनुसार अच्छे में से अच्छे व बुरी में बुरी भूमि का निर्धारण करते हुए एवं रास्ते की समुचित व्यवस्था करते हुये भूमि का तकास्मा किया जावे एवं इस हेतु तहसीलदार कोटपूतली को मध्यस्थ नियुक्त किया जावे एवं बादीके हिस्से में आई भूमि का अलग बटा नम्बर डाल हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम की जावे। एवं प्रतिवादी को इस अमर से पांबद करावे की वाद के निस्तारण तक प्रतिवादी उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 620/1.07 वाके मौजा टोरडा ब्राह्मणान पटवार हल्का पांचूडाला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड की भूमि में किसी प्रकार का कोई कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करे भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करे वादी को हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा दिगर व्यक्ति को रहन– बेचान नहीं करे। अन्य जो दादरसी मान्य न्यायालय वादी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध उचित समझे प्रदान की जावे।

4 वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आकर वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 03 बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 22.11.2024 वकुलाये फेरिकेन की बहस उपरान्त वादपत्र को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार पावटा को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 17.07.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत तारीख पेशी को शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीदलार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवदेन किया जिस पर प्रतिवादी वकील ने अनापत्ति जाहिर की। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

5. अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा न0 620/1.07 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा टोरडा ब्राह्मणान पटवार हल्का पाचूडाला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

कसं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	1 गीतादेवी पत्नी देवकीनन्दन हि. 1/2 जाति स्वामी राहिन द **जयपुर सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक लि. शाखा पावटा** **2 सुशीला पत्नी रोहिताश यादव हि. 1/2 कौम अहीर सा. बागावास अहीरान तह. विराटनगर**	**620/1 रकबा 0.5150 हैक्ट0 भूमि।**
2	प्रेम देवी पत्नी शशिकान्त हि. सम्पूर्ण सा. शास्त्रीनगर जयपुर	**620/3 रकबा 0.5150 हैक्ट0 भूमि।**
3	1 गीतादेवी पत्नी देवकीनन्दन हि. 1/4 रहन बदस्तूर **2 सुशीला पत्नी रोहिताश यादव हि. 1/4 कौम अहीर सा. बागावास अहीरान तह. विराटनगर** **3 प्रेम देवी पत्नी शशिकान्त हि. 1/2 कौम ब्राहम्ण सा. शास्त्रीनगर जयपुर**	**620/2/ रकबा 0.040 हैक्ट0 भूमि।**

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें।पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
134 / 2024	2024 / 337	22.08.2024	08.08.2024

उनवान

प्रेम पत्नि श्री शशिकांत जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्री नगर जयपुर जिला जयपुर राजस्थान ।

वादीया

बनाम

1. गीता देवी पत्नि श्री देवकीनंदन स्वामी जाति स्वामी निवासी टोरडा ब्राह्मणान तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान
2. सुशीला देवी पत्नि श्री रोहिताश यादव जाति अहीर निवासी बागावास अहिरान तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड
3. द सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक जयपुर शाखा पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान।
5. सब रजिस्ट्रार महोदय पावटा, तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री विष्णु कुमार शर्मा
प्रतिवादी सं. 01, 02 श्री मुकेश कुमार स्वामी

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा न0 620 / 1.07 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा टोरडा ब्राह्मणान पटवार हल्का पाचूडाला जिला कोटपूतली–बहरोड राज. के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

कसं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	1 गीतादेवी पत्नी देवकीनन्दन हि. 1/2 जाति स्वामी राहिन द **जयपुर सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक लि. शाखा पावटा** **2 सुशीला पत्नी रोहिताश यादव हि. 1/2 कौम अहीर सा. बागावास अहीरान तह. विराटनगर**	**620 / 1 रकबा 0.5150 हैक्ट0 भूमि।**
2	प्रेम देवी पत्नी शशिकान्त हि. सम्पूर्ण सा. शास्त्रीनगर **जयपुर**	**620 / 3 रकबा 0.5150 हैक्ट0 भूमि।**
3	1 गीतादेवी पत्नी देवकीनन्दन हि. **1/4 रहन बदस्तूर** **2 सुशीला पत्नी रोहिताश यादव हि. 1/4 कौम अहीर सा. बागावास अहीरान तह. विराटनगर** **3 प्रेम देवी पत्नी शशिकान्त हि. 1/2 कौम ब्राह्मण सा. शास्त्रीनगर** जयपुर	**620 / 2 / रकबा 0.040 हैक्ट0 भूमि।**

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

आज दिनांक 08.08.2025 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़,

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	|	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	|
जोड़		जोड़	